5th November, 2010

अन्तिम विनियम

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, ''मेट्रो प्लाजा'' बिट्टन मार्केट, ई–5, अरेरा कॉलोनी,
भोपाल – 462 016

भोपाल दिनांक, 27 अक्टूबर, 2010

क्रमांक 2910/म.प्र.विनिआ/2010. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 में प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में प्रदत्त अन्य समस्त शक्तियों के निर्वहन में, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा निम्न विनियम बनाता है, अर्थात् :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (परिपालन अंकेक्षण) विनियम, 2010

1. प्रस्तावना :

विनियामकों के फोरम (Forum of Regulators) ने विनियमित इकाईयों (Regulated Entities) हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये विनियमों के परिपालन के सत्यापन बाबत् परिपालन अंकेक्षण (Compliance Audit) विनियम विनिर्दिष्ट किये हैं । तद्नुसार, निम्न विनियम तैयार किये गये हैं ।

2. संक्षिप्त शीर्षक, सीमा तथा प्रारंभ : 2.1 ये विनियम ''**मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (परिपालन अंकेक्षण) विनियम, 2010 (जी–36, वर्ष 2010)**'' कहलाऐंगे ।

2.2 ये विनियम सम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य की सीमाओं के अंतर्गत प्रभावशील होंगे।

2.3 ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के शासकीय राजपत्र में इनकी प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे।

3. परिभाषाएं तथा व्याख्याएं :

3.1 जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक इन विनियमों में :

(अ) ''**अधिनियम (Act)**'' से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003);

(ब) ''**विनियमित इकाई (Regulated Entity)**'' से अभिप्रेत है विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी या विद्युत उत्पादन कम्पनी या विद्युत पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र (स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर) ।

3.2. इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द या अभिव्यक्तियां जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है, परन्तु अधिनियम में दर्शाया गया है वही अर्थ रखेंगी जैसा कि अधिनियम में इनके संबंध में दर्शाया गया है ।

4. परिपालन अंकेक्षण (Compliance Audits)

4.1 आयोग, किसी भी समय, किसी भी विनियमित इकाई का अंकेक्षण, अधिनियम तथा आयोग द्वारा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों, विनियमों तथा आयोग द्वारा जारी आदेशों तथा दिशा–निर्देशों के सत्यापन के संबंध में कार्यान्वित कर सकेगा ।

4.2 आयोग, किसी आदेश द्वारा, इन कृत्यों के निर्वहन में आयोग को सहायता प्रदान करने में आयोग द्वारा निर्धारित निबंधनों तथा शर्तों पर, जैसा कि वे उपयुक्त समझी जाएं, वांछित परामर्शियों/अंकेक्षकों को सूचीबद्ध कर सकेगा ।

4.3 आयोग या तो उसकी सूची में सम्मिलित किये गये परामर्शियों/अंकेक्षकों को अंकेक्षण कार्य के लिये अथवा नवीन चयन की प्रक्रिया द्वारा आवश्यकतानुसार, किसी विशिष्ट आवश्यकता हेतु, नियुक्त कर सकेगा ।

4.4 आयोग, आपवादिक प्रकरणों में, जहां यह उपयुक्त हो, परामर्शियों/अंकेक्षकों के एकल स्त्रोत चयन पर भी विचार कर सकेगा ।

4.5 आयोग, किसी अंकेक्षण पर पहल किये जाने से पूर्व, संविदा शर्तें (Terms of Reference) तैयार करेगा जिनमें कार्य के संबंध में परामर्शी/अंकेक्षण द्वारा प्रदान किये जाने वाले विशिष्ट अपेक्षित परिणामों के विवरण, वह समय सीमा, जिसके अन्तर्गत कार्य पूर्ण किया जाना है तथा कार्य के संबंध में अन्य सुसंबद्ध शर्तें उपलब्ध कराये जाएंगे ।

4.6 आयोग, विनियमित इकाई का अंकेक्षण कार्य आरंभ करने से पूर्व, एक आदेश के माध्यम से, परामर्शी/अंकेक्षण को आयोग द्वारा तैयार की गई संविदा शर्तों पर अंकेक्षण संबंधी विशिष्ट कार्य निर्दिष्ट करेगा ।

5. परामर्शी/अंकेक्षक से आवश्यकताएं (Requirements of Consultant/Auditor)

परामर्शी/अंकेक्षक व्यावसायिक, वस्तुनिष्ठ तथा निष्पक्ष परामर्श प्रदान करेंगे तथा भविष्य के किसी कार्य पर विचार किये बिना सदैव आयोग के हितों को सर्वोपरि रखेंगे तथा यह भी कि अपना परामर्श देते समय, वे अन्य आबंटनों (assignments) के संबंध में उपजे विवादों तथा उनके स्वयं के निगमित हितों का परिवर्जन करेंगे । परामर्शी/अंकेक्षक किसी ऐसे आबंटन हेतु भाड़े पर नियोजित नहीं किये जाएंगे जो उनके पूर्व या अन्य पक्षकारों के प्रति चालू दायित्वों से विरोधाभास रखते हों अथवा आयोग के सर्वोत्तम हित में आबंटन के निष्पादन में उसे असमर्थता की स्थिति में रखें । उपरोक्त उद्धरण की व्यापकता की परिसीमाओं में भले जो भी उल्लेख किया गया हो, परामर्शियों/अंकेक्षकों को निम्न निर्धारित की गई परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए नियोजित किया जाएगा :

(i) किसी विशिष्ट अंकेक्षण हेतु नियोजित किये गये किसी परामर्शी या अंकेक्षक को आयोग द्वारा उसे नियोजित की गई तिथि से दो (2) वर्ष की पूर्व अवधि तक न तो विनियमित इकाई में पदस्थ होना चाहिए तथा न ही उसका उक्त इकाई में वाणिज्यिक अथवा किसी प्रकार का अन्य हित निहित होना चाहिए ।

(ii) किसी अंकेक्षण कार्य का संचालन करते समय, परामर्शी या अंकेक्षक से इसका निष्पादन ईमानदारी पूर्वक, न्यायसंगत, व्यावसायिक रूप से, स्वतंत्रतापूर्वक तथा वस्तुनिष्ठ ढंग से अपेक्षा की जाती है तथा यह भी कि वह कौशल का एक ऐसा मानदण्ड, सावधानी तथा कर्मिष्ठता का संव्यवहार करेगा जिसके न्यायोचित होने की अपेक्षा एक ऐसे व्यक्ति से की जाती है जो कुशल है तथा जिसे किसी अंकेक्षक द्वारा ऐसी या इसी प्रकार की अन्य सेवाएं प्रदान किये जाने संबंधी पर्याप्त अनुभव है ।

(iii) चयनित परामर्शी या अंकेक्षक द्वारा आयोग को इस आशय का एक लिखित घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसका इन विनियमों के अन्तर्गत आवंटित किये गये कार्यों तथा कृत्यों के निष्पादन में हितों के संबंध में उसका कोई अन्तर्विरोध नहीं है तथा न ही परामर्शी या अंकेक्षक के इसी प्रकृति के अन्य आवंटित कार्य के प्रति किसी प्रकार अन्तर्विरोध है ।

(iv) विशिष्ट कार्य की आवश्यकता पर निर्भर, आयोग परामर्शी/अंकेक्षक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता निर्दिष्ट कर सकेगा । परामर्शी/अंकेक्षक एक संस्था अथवा व्यक्ति हो सकते हैं जिनकी योग्यता सनदी लेखापाल (CA)/आईसीडब्लूए (ICWA)/व्यवसाय प्रबंधन (वित्त) में स्नातोकत्तर उपाधि [MBA (Finance)] होगी, यदि कार्य वित्तीय पहलुओं के संव्यवहार से संबंधित हो अथवा न्यूनतम अर्हता विधि स्नातक होगी यदि कार्य कानूनी पहलुओं से संबंधित है अथवा न्यूनतम अर्हता इलेक्ट्रीकल/मैकेनिकल अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि निर्दिष्ट की जा सकेगी यदि कार्य विद्युत संबंधी विषयों से संबंधित है अथवा यह अर्हता कम्प्यूटर/सूचना प्रौद्योगिकी विषय में स्नातक उपाधि होगी यदि कार्य सूचना प्रौद्योगिकी संव्यवहार से संबंध रखता हो । समस्त प्रकरणों में संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव अनिवार्य होगा ।

(v) परामर्शी/अंकेक्षक को भुगतान योग्य पारिश्रमिक राशि/शुल्क आयोग द्वारा संविदा शर्तों (Terms of Reference) में पृथक से विनिर्दिष्ट की जा सकेगी ।

6. व्यय (Expenses)

(i) समस्त व्यय, तथा संबंधित प्रासंगिक व्यय, जिनका भुगतान इन विनियमों के अन्तर्गत किसी अंकेक्षण कार्य हेतु किया जाना है, की राशि का भुगतान आयोग द्वारा किया जाएगा तथा तत्पश्चात ऐसे किये गये समस्त व्यय विनियमित इकाई द्वारा आयोग के पक्ष में एक माह के भीतर चुकता किये जाएंगे ।

(ii) कथित व्यय के दावे की प्राप्ति हेतु, विनियमित इकाई को निम्न प्रक्रियानुसार अनुज्ञेय किया जाएगा :

(अ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी कथित व्ययों का दावा उनकी सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (Aggregate Revenue Requirment) के माध्यम से कर सकेंगे;

(ब) विद्युत उत्पादन कम्पनियां तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे व्यय का दावा टैरिफ के अवधारण संबंधी आवेदन दाखिल करते समय कर सकेंगे;

(स) विद्युत व्यापार अनुज्ञप्तिधारी (Tading Licensees) ऐसे व्ययों का दावा उनकी व्यावसायिक उपांत (trading margin) में वृद्धि के रूप में आयोग के अनुमोदन द्वारा कर सकेंगे; तथा

(द) राज्य भार प्रेषण केन्द्र कथित व्ययों का दावा उनके वार्षिक बजट अनुमोदन के माध्यम से कर सकेंगे ।

7. कार्य विधि (Methodology)

7.1 आयोग द्वारा परामर्शी/अंकेक्षक को किसी भी समय निर्देशित किये जाने पर उसके एक या एक से अधिक अधिकारियों द्वारा किसी विनियमित इकाई तथा उसकी लेखा पुस्तकों, पंजियों तथा उसके अभिरक्षण में अन्य अभिलेखों का निरीक्षण तथा विनियमित इकाई के मामलों की जांच, जैसा कि आयोग द्वारा उचित समझी जाए, किये जाएंगे ।

बशर्ते यह कि विनियमित इकाई को लिखित में युक्तियुक्त 15 दिवस की अवधि का पूर्व नोटिस ऐसे निरीक्षण और/या जांच हेतु दिया जाएगा ।

7.2 प्रत्येक विनियमित इकाई का यह दायित्व होगा कि वह परामर्शी/अंकेक्षक के समक्ष विनियमित इकाई के मामलों के संबंध में ऐसी समस्त लेखा पुस्तकें, पंजियां तथा अन्य अभिलेख प्रस्तुत करे तथा कोई विवरण–पत्र तथा जानकारी जुटाये, जैसा कि वे कथित परामर्शी/अंकेक्षक द्वारा ऐसी निर्धारित अवधि के अन्तर्गत उस से चाही जाए व जैसा कि परामर्शी/अंकेक्षक द्वारा इस संबंध में उसे लिखित में सूचित किया जाए ।

7.3 परामर्शी/अंकेक्षक पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य एकत्रित करेगा जो अंकेक्षण के दौरान उसके द्वारा निष्पादित कार्य को अभिलेखबद्ध करने तथा निष्कर्षों तक पहुंचने की आवश्यकता का आधार होगा । यह जानकारी सामान्यतः निम्न विधियों द्वारा एकत्रित की जाएगी :

(अ) आंकड़े संबंधी अनुरोध (Data Requests) : आंकड़ों की प्राप्ति की प्राथमिक विधि संबंधित विनियमित इकाई को आंकड़े उपलब्ध कराये जाने संबंधी अनुरोध के माध्यम से होगी । आंकड़ा–अनुरोध प्रक्रिया से प्राप्त आंकड़ों में वित्तीय तथा परिचालन संबंधी जानकारी, प्रक्रिया नियमावलियां, संस्था की सारणियां (चार्ट), प्रतिवेदन, ई–मेल तथा वॉयस–मेल अभिलेख तथा अध्ययन शामिल होंगे । आंकड़ों की प्राप्ति इलेक्ट्रॉनिक विधि अथवा लिखित अभिलेखों के माध्यम से (आवश्यकता पर निर्भर) हो सकती है ।

(ब) स्थल भ्रमण (Site Visits) : परामर्शी/अंकेक्षक संबंधित विनियमित इकाई द्वारा प्रदत्त जानकारी की परिशुद्ध व्याख्या को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थल भ्रमण का संचालन करेंगे । परामर्शी/अंकेक्षक अन्यान्य विषयों में स्थलीय जानकारी का संग्रहण करेंगे, प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे तथा अंकेक्षण कार्य से सुसंबद्ध साक्षात्कार संचालित करने का अवसर भी प्रदान करेंगे ।

(स) साक्षात्कार : परामर्शी/अंकेक्षक व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष पर साक्षात्कार का संचालन भी कर सकेंगे ।

(द) विचाराधीन अंकेक्षण के अन्तर्गत जैसे–जैसे आंकड़े संग्रहित किये जाते हैं, परामर्शी/अंकेक्षक इन आंकड़ों को संकलित करेंगे तथा इनका विश्लेषण करेंगे । परामर्शी/अंकेक्षक भिन्न–भिन्न स्त्रोतों से एकत्रित जानकारी, उक्त विनियमित इकाई द्वारा आयोग के समक्ष दायर की गई जानकारी तथा सार्वजनिक अभिलेखों को सम्मिलित कर, का विश्लेषण करेंगे । समुन्नत विश्लेषण (Advanced Analysis) के निष्पादन में जटिल स्प्रेड–शीटों तथा आंकड़ा–आधार तैयार किये जाने तथा अधिनियम तथा नियमों, विनियमों व आयोग द्वारा जारी किये गये आदेशों तथा दिशा–निर्देशों के संभावित अननुपालन (potential non-compliance) के नमूनों के परीक्षण का उपयोग किये जाने की आवश्यकता हो सकती है ।

(ई) तृतीय पक्षकार शिकायतें : अननुपालन के क्षेत्रों को भी तृतीय पक्षकार शिकायतों के माध्यम से चिन्हांकित किया जा सकता है, उदाहरण के तौर पर, ग्राहकों की शिकायतें, प्रतिवेदन आदि ।

7.4 परामर्शी/अंकेक्षक द्वारा आयोग की पूर्ण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने होंगे, जिसके अन्तर्गत न्यूनतम निम्न पहलू शामिल किये जाएंगे :

(अ) प्रतिवेदन के विस्तार क्षेत्र तथा कार्य विधि का विवरण, जिनमें संविदा शर्तों में विनिर्दिष्ट समस्त विषय शामिल होंगे,

(ब) प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं का विवरण जो विनियामक दायित्वों के परिपालन हेतु स्थापित किये गये हैं, सुसंबद्ध अभिलेखन तथा उत्तरदायी पदाधिकारियों के चिन्हांकन को सम्मिलित करते हुए ।

(स) चर्चा का विवरण प्रदान करना जिसमें दर्शाया गया हो कि परिपालन का नियंत्रण किस प्रकार किया जाएगा, सामान्य परिपालन संबंधी विषयों का निदान करना तथा अन्य विशिष्ट विषय जो उक्त प्रतिवेदन हेतु चिन्हांकित किये गये हों ।

(द) चिन्हांकित किये गये अननुपालन (Non-complience) के विवरण तथा विनियमित इकाई द्वारा इनमें सुधार बाबत् की जा रही कृत कार्रवाई तथा कृत कार्रवाई के पर्याप्त होने का आकलन ।

7.5 प्रतिवेदन में अंकेक्षक द्वारा हस्ताक्षरित निम्न आशय का प्रमाण–पत्र भी सम्मिलित किया जाएगा, जिसमें उसके द्वारा निम्नानुसार अभ्युक्ति की जाएगी :

(अ) परामर्शी/अंकेक्षक द्वारा संविदा शर्तों (Terms of Reference) का परिपालन निष्कर्षों तक पहुंचने तथा प्रतिवेदन तैयार करने में किया गया है ।

(ब) अंकेक्षक द्वारा प्रतिवेदन में अपना व्यावसायिक मत प्रकट किया गया है ।

7.6 परामर्शी/अंकेक्षक अपने प्रतिवेदन की एक प्रति विनियमित इकाई को प्रस्तुत करेगा ।

8. इन विनियमों के अन्तर्गत प्राप्त किसी प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर, आयोग विनियमित इकाई को प्रतिवेदन के संबंध में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने का अवसर प्रदान कर सकेगा, जैसा कि आयोग के मत में इसे युक्तिसंगत समझा जाए तथा संतुष्ट होने पर अधिनियम के अन्तर्गत लेखबद्ध आदेश द्वारा अननुपालन

(Non-Compliance) तथा उल्लंघन (Contravantion) के संबंध में यथास्थिति समुचित कार्रवाई कर सकेगा।

9. **कठिनाईयां दूर करने की शक्ति** :

यदि इन विनियमों के किन्हीं उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्‌भूत होती हो तो आयोग को सामान्य या विशेष आदेश द्वारा आधिनियम के उपबंधों से अनसंगत न होते हुए कोई भी कार्य कर सकेगा जो कठिनाईयों को दूर करने के प्रयोजन के लिये आवश्यक या समीचीन हो ।

10. **संशोधन हेतु शक्ति :**

आयोग किसी भी समय इस विनियमों के उपबंधों में संशोधन कर सकेगा ।

11. **आदेश तथा व्यावहारिक दिशा–निर्देश :**

इन विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग इन विनियमों के कार्यान्वयन के संबंध में समय–समय पर आदेश तथा व्यावसायिक दिशा–निर्देश जारी कर सकेगा ।

टीपः– इस ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिपालन अंकेक्षण) विनियम 2010'' के हिन्दी रूपांतरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जावेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा।

आयोग के आदेशानुसार

पी.के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव